जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 13.04.2018 को आयोजित आपदा प्रबंधन समिति से संबंधित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : पंजी के अनुसार ।

सर्वप्रथम बैठक में पदाधिकारियों के उपस्थिति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में अंचल अधिकारी, ब्रह्मपुर, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बक्सर एवं डुमरॉव, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, अग्निशमन पदाधिकारी, प्रबंधक, बी0एस0एन0एल बैठक में अनुपस्थित थे। अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि इन सभी पदाधिकारियों को बैठक में भाग लेने की सूचना पूर्व से संसूचित है। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले उक्त पदाधिकारियों से अपर समाहर्त्ता को स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया। बैठक में कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, बक्सर एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर भी अनुपस्थित थे। परन्तु उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा बैठक से अनुपस्थित रहने के संबंध में सूचना भेजते हुये उन्हें बैठक में भाग लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है। विशेष कार्य पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे कार्यपालक अभियंता, विद्युत एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी के बैठक से अनुपस्थित रहने के आवेदन पत्र की जॉच कर अपर समाहर्त्ता को अवगत करायेंगे। यदि बिना सूचना के उक्त दोनों पदाधिकारी अनुपस्थित है तो उनसे भी अपर समाहर्त्ता स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे। साथ ही प्रभारी पदाधिकारी, आपदा शाखा को निदेशित किया गया कि आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को बैठक में भाग लेने हेतु सूचना संसूचित करेंगे। तत्पश्चात् आम नागरिकों को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने एवं आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुँचाने के संबंध में समीक्षा के क्रम में निम्न निदेश दिये गयेः–

i. किसी भी आपदा के दौरान त्वरित रिस्पांस का होना सर्वाधिक महत्व रखता है। आपदा के दौरान त्वरित रिस्पांस लिये जाने से बड़ी संख्या में लोगों के जीवन की रक्षा तथा पीड़ितों को मानवीय सहायता उपलब्ध हो सकती है। इसके लिए कम्युनिकेशन प्लान तैयार करने का निदेश सभी अंचल अधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी, आपदा शाखा को दिया गया। सभी अंचल अधिकारियों को अपना निजी नम्बर आपदा शाखा में उपलब्ध कराने का निदेश दिया । साथ ही निदेशित किया गया कि अपने सरकारी एवं निजी नम्बर को बंद नहीं करेंगे और फोन किये जाने पर फोन को रिसिभ करेंगे। यदि यह पाया जाता है कि किसी अंचल अधिकारी के द्वारा फोन रिसिभ नहीं किया गया है तो संबंधित अंचल अधिकारी का उक्त तिथि का वेतन स्थगित कर दिया जायेगा।

ii. गर्मी के मौसम में भीषण गर्मी के कारण आगलगी की घटनाओं में वृद्वि हो जाती है। आगलगी की घटनाओं से निबटने एवं उसके रोकथाम के संबंध में शहरी/ग्रामीण खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में माइकिंग कराया जाना आवश्यक है। सभी अंचल अधिकारी को अगले एक सप्ताह के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में माइकिंग कराने का निदेश दिया गया।

iii. ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने हेतु निर्धारित समय एवं खाना बनाने के दौरान सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से चुल्हे के पास रखे जाने वाले सुरक्षात्मक उपाय का व्यापक प्रचार–प्रसार पोस्टर/बैनर/माइकिंग के माध्यम से कराने

का निदेश दिया गया। प्रभारी पदाधिकारी, आपदा शाखा को प्रचार'–प्रसार हेतु सभी अंचल में पोस्टर/बैनर उपलब्ध कराने का निदेष दिया गया।

iv. अनुमण्डल पदाधिकारी को अपने क्षेत्र के अग्निशमन पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, मुखिया, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आगलगी की घटनाओं के रोकथाम हेतु सुझाव प्राप्त उसके सुरक्षात्मक उपाय हेतु आवष्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

v. सभी अंचलाधिकारियों को प्रत्येक गॉव में पानी के स्रोत को चिन्हित करने का निदेश विगत बैठक में दिया गया था। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सिमरी को छोड़कर अन्य किसी भी अंचल अधिकारी द्वारा पानी के स्रोत को चिन्हित कर प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है। अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि तीन दिनों के अंदर हल्कावार पानी के सरकारी/निजी स्रोत को चिन्हित कर सूची अनुमण्डल पदाधिकारी के माध्यम से आपदा शाखा में भेजना सुनिश्चित करे। निदेशित किया कि पानी के निजी स्रोत चिन्हित कर उसकी सूची फोल्डर में अपने साथ रखेंगे।

vi. प्रायः बिजली के तारों के ढीला रहने के कारण वे हवा चलने पर आपस में टकराते रहते हैं, जिससे चिनगारी निकलने की संभावना रहती है। इन चिनगारियों के कारण भी आगलगी की घटनाएँ होती हैं। कार्यपालक अभियंता, विद्युत को निदेशित किया गया कि वे बिजली के ढीले तारों को ठीक कराने की व्यवस्था करें।

vii. गर्मी के मौसम में पानी का लेबल नीचे चला जाता है, जिससे अधिकांश चापाकल सूख जाते हैं। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल को निदेशित किया गया कि वे ऐसे सभी चापाकलों की मरम्मति सुनिश्चित करायें तथा दैनिक प्रतिवेदन आपदा शाखा में समर्पित करें कि कितने चापाकलों की मरम्मति करायी गयी है। कार्यपालक अभियंता को अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरॉव के अनुरोध पर डुमरॉव के फायर ब्रिगेड कार्यालय में अविलम्ब चापाकल अधिष्ठापित कराने का निदेश दिया गया।

viii. गर्मी के मौसम में बीमारियों का भी प्रकोप होता है। इस संदर्भ में सिविल सर्जन को आवश्यक दवाओं के साथ चिकित्सकों की टीम गठित करने का निदेश दिया गया।

ix. जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी को गर्म हवाएं/लू से बचाव के उपाय से संबंधित विज्ञापन का प्रचार–प्रसार प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कराने का निदेश दिया गया।

x. अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही फायर ब्रिगेड को सूचित करते हुये अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुँच कर राहत एवं बचाव के कार्य शीघ्र कराना सुनिश्चित करें।

xi. अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि आगलगी की घटना होने पर अग्निकांड से पीड़ित परिवारों को 24 घंटे के अंदर विभागीय निदेशानुसार अनुमान्य सहाय्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राहत एवं बचाव कार्य को सुनिश्चित करने एवं पर्यवेक्षण हेतु कर्मचारी/पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करेंगे।

xii. अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव को फायर ब्रिगेड के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने का निदेश दिया गया। समीक्षा के क्रम में अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि बक्सर में 3 फायर

ब्रिगेड की गाडियॉ है, जो चालू अवस्था में हैं। अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर को निदेशित किया गया कि वे जॉच कर सुनिश्चित हो लें कि वाहन चालू अवस्था में है और सभी वाहन पर चालक उपलब्ध हैं। अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरॉव द्वारा बताया गया कि डुमरॉव अनुमण्डल में 3 फायर ब्रिगेड की गाडियॉ हैं, जो चालू अवस्था में, परन्तु एक वाहन पर चालक नहीं है। उनके द्वारा दो गृहरक्षक, जिसमें एक को वाहन चलाने का अनुभव हो फायर ब्रिगेड कार्यालय में प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। विशेष कार्य पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि समादेष्टा, बक्सर से समन्वय स्थापित कर डुमरॉव अनुमण्डल के फायर ब्रिगेड कार्यालय में दो गृहरक्षकों की प्रतिनियुक्ति अविलम्ब सुनिश्चित करायें। अनुमण्डल पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे जॉच कर लेंगे कि फायर ब्रिगेड के वाहन चालू अवस्था में है और सभी वाहन पर चालक उपलब्ध है। यदि वाहन चालू अवस्था में नहीं और चालक उपलब्ध न हो तो 24 घंटे के अंदर इस संदर्भ में प्रतिवेदन आपदा शाखा में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

xiii. अंचल अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवन/महत्वपूर्ण स्थानों पर फायर बूथों की स्थापना तीन दिनों के अंदर करने का निदेश दिया गया। विगत बैठक में भी इस संदर्भ में सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है। प्रत्येक गॉव में फायर बीटर्स, फायर टेंक, बाल्टी, रस्सी एवं कुल्हाड़ी आदि छोटे–छोटे अग्निशमन उपकरण एवं एक घंटी (आग की सूचना के लिए) सार्वजनिक स्थल पर रखने की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों फायर बूथों की स्थापना सुनिश्चित करायेंगे।

xiv. अंचल अधिकारियों को निदेषित किया गया कि घटना के संदर्भ में 24 घंटे के अंदर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन जिला आपदा शाखा में भेजना सुनिष्चित करेंगे।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक 03-1075 /रा0, दिनांक 28/04/2018

प्रतिलिपिः– सभी अंचलाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/18
जिला पदाधिकारी,
बक्सर